प्रेस-वार्ता **22/06/2016**

आज दिनांक 22 **जून, 2016** को सांय **03:00 बजे** मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यात पर वैट रिफंड में आने वाली कठिनाइयों तथा रिफंड के निस्तारण के लिए बने उत्तर प्रदेश राज्य तथा प्रस्तावित G.S.T. मॉडल ड्राफ्ट प्रावधानों पर एक प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया।

दिनांक 21 जून, 2016 को श्रीमाती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव्, भारत सरकार, के साथ लखनऊ में होने वाली आयोजित की गई गोष्ठी में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नामित किया था जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने निर्यातकों को वाणिज्य विभाग द्वारा वैट रिफण्ड में आ रही समस्याओ को वाणिज्य सचिव के समक्ष रखा।

आयोजित की गयी प्रेस-वार्ता से सरकार को अवगत कराना है की निर्यातकों को वैट रिफण्ड से सम्बंधित किस-किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

विधिक व्यवस्था निर्यात में गिरावट का एक प्रमुख कारण

प्रस्तावित जी.एस.टी. ला

धारा 38: रिफण्ड

1. आयात/निर्यात संबंधी रिफंड संविधान की धारा 286 की प्रावधान के परिप्रेछय में पृथक और वरीयता के साथ होना चाहिए था किन्तु उसे सामान्य रिफण्ड के साथ ही अंकित किया गया इससे आर्डर पास करने वाले अधिकारियों पर आयात/निर्यात में रिफंड की महत्ता तथा घरेलू बिक्री में अंतर होने का कोई असर नहीं होता जैसे वैट में हुआ बैसे ही पूंजी फसती जायेगी और निर्यात पर प्रतिकूल पराभाव पडेगा।
2. यह स्वागत योग्य है की पांच लाख रूपये से नीचे तक रिफंड में कुछ उदारता बरती गई है ।
3. उपधारा 4 में यह प्रावधान समझ से परे है कि जो रिफंड योग्य धनराशि सम्बंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे कंस्यूमर वेलफेयर फण्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
4. उल्लेखनीय है की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत सरकार एवं अन्य 111 एस.टी.सी. 467 व्यापारी को उस धनराशी के रिफंड न दिए जाने के लिए unjust enrichment का सिद्धांत सृजित किया और एक्साइज एक्ट के धारा 12-C में वेलफेयर फण्ड के प्रावधान को विचरित किया किन्तु धारा 12-B और 12-D में कंज्यूमर वेलफेयर फण्ड में वह धनराशी ट्रान्सफर करने का प्रावधान था जो रिफण्ड नहीं हो सकती अर्थात रिफण्ड से अधिक धनराशी किन्तु जी.एस.टी. माडल ला में इस प्रावधान का लोप कर दिया गया और सामान्य रूप से रिफण्ड योग्य धनराशि भी ट्रान्सफर करने का प्रावधान किया गया यह उचित नहीं है।
5. जब निर्यात/आयात के सम्बन्ध में खरीद की तिथि से कर कोष में जमा हो जाएगा तब रिफंड जमा तिथि से ही दिया जाना चाहिए अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 286 के प्रावधान के विपरीत होगा।
6. धारा 38 की उपधारा 4-A में 80 प्रतिशत प्राविजनल रिफण्ड दिया जाएगा नितांत अनुचित है और जब ऐसे प्रविजनल रिफण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न शर्ते, बाध्यताएं और धन की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है तब 20 प्रतिशत राशि रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है।
7. अधिनियम की धारा 38 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण V II में केवल Frontier शब्द लिखा है यह अपूर्ण है संशोधन अपेक्षित है।
8. अधिनियम की धारा 39 में किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या कोर्ट द्वारा रिफन्ड वापसी की स्थिति में जिसमें निर्यात संबंधी रिफण्ड भी सम्मिलित है की आदेश की तिथि वही मानी गयी है जिस तिथि को आदेश पारित हुआ है इसमें भी जमा की तिथि से ब्याज दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान में राज्य को कोई कर आरोपित कर्ण इसे निषेध किया है, वैट लागू करने के लिए यह आवश्यक था की निर्यात से जुडी खरीदों पर निर्यातकरता टैक्स अदा करें और इसी प्रकार आयातकर्ता भी अदा करें और फिर उसे कर वापस करने के प्रावधान वैट एक्ट में किये गए |

इसी प्रकार आयात और निर्यात से सम्बंधित खरीद पर अदा किये गए कर की वापसी की व्यवस्था अध्याय 10 धारा 38 में की गयी |

इस प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी ने अपने अनुशंसाओं के प्रभाव का सम्यक आकलन नहीं किया | ऐसा प्रतीत होता है की राज्य सरकारों ने वैट/जी.एस.टी. लागू करने के पूर्व हर संभव यह प्रयास किया गया की प्रणालियों लो लागू करने से होने वाली संभावित हानि को अधिकतम प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाए और ऐसी व्यवस्था की गई किन्तु शेष प्रावधानों के सम्बन्ध में विशेष रूप से आयात और बिर्यात के प्रकरण में धनराशि वापस करने के प्रावधानों में सम्यक विचार विमर्श और व्यवस्था नहीं की गयी | उल्लेखनीय है की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट के सम्बन्ध में श्वेत पात्र दिनांक 17.01.2005के पेरा 2.5 पेज 08, धनराशि वापसी की अवधि 3 माह रखी गई, पुनः एमपावर्ड कमेटी द्वारा 10.11.2009 को जारी डिस्कशन पेपर में भी रिफण्ड वापसी की अवधि 3 माह ही रखी गई और अब इम्पोर्ट पर भी कर आरोपित किया गया | जी.एस.टी. के सम्बन्ध में आई.जी.एस.टी की विशेषताएं वर्णित करते हुए यह बताया गया कि इससे व्यापारी के फण्ड में रुकावट दूर हो जायेगी किन्तु यही बात निर्यात के सम्बन्ध में नहीं कही गई |

जून 2016 में एमपावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित माडल जी.एस.टी. माडल के विश्लेषण से निम्नलिखित स्थितियां स्पष्ट होती है :

1. कर निर्धारण/अपील/अधिक जमा के नियमित प्रकरणों में रिफण्ड की जो व्यवस्था की गई वही आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के सम्बन्ध में की गई |

2. धारा 38 में दोनों प्रकार के रिफण्ड के लिए समान व्यवस्था करते हुए यह बात उपेछित की गई कि संविधान के अनुच्छेद 286 में आयात/निर्यात से सम्बंधित खरीद पर करदेयता से संविधान में राज्य को निषेध किया गया है | अर्थात संवैधानिक प्रष्टभूमि में आयात/निर्यात से सम्बंधित रिफण्ड पृथक स्थान रखता है और उसे वरीयता के आधार पर निस्तारित किये जाना संविधान की भावना के अनुरूप होता है किन्तु ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है | भारत का निर्यात यदि घाट रहा है तो उसका मूल कारण वैट और जी.एस.टी. की व्यवस्थाएं है और होंगीं और यह स्वतः प्रमाणित है कृपया देखें :-

निर्यात में निर्माण से सम्बंधित खरीद कम से कम 6 सप्ताह पूर्व, माल का निर्माण कर प्रस्थान बिंदु तक पहुचने के लिए 4 सप्ताह, प्रार्थनापत्र साक्ष्य साहित प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह रिफण्ड प्राप्त करने की निर्धारित अवधि 12 सप्ताह अर्थात कुल 6 महीने की अवधि, इस प्रकार पूंजी पर ब्याज का नुकसान 7.5 प्रतिशत |

रिफंड योग्य धनराशी का केवल 80 प्रतिशत उक्त अवधि में शेष फिर कभी, अवधि रहित |

सरकार से रिफण्ड लेने में होने वाला व्यय, वित्तीय भार 4 प्रतिशत, बैंक गारन्टी आदि प्रस्तुत करने में व्यय 2 प्रतिशत, इससे स्पष्ट प्रमाणित है की पुरानी बिक्री व्यवस्था के मुकाबले वैट/जी.एस.टी. व्यवस्था के निर्यातकर्ता को 13.5 प्रतिशत की हानि है |

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट है भारत की कानूनी व्यवस्था ने निर्यात पर 13.5 प्रतिशत भार अधिक कर दिया तो निर्यात घटेगा नहीं तो क्या होगा |

1. VAT अधिनियम में निर्यातक को खरीद पर अदाकर वापस किये जाने का प्रावधान है।

2. कमिश्नर ने दिनांक 15/03/2016 को यह दिर्देश दिया था की सत्यापन के पश्चात ही निर्यातक को रिफंड दिया जाएA धारा-41 में किये गए प्रावधान निर्यातक के लिए कठिनाई पैदा करने वाली है और उसमें बेवजह ऐसे उल्लेख किये गए जो निर्यातको को हतोत्साहित करते हैA संविधान आयात/निर्यात पर प्रारम्भ से ही कोई कर आरोपित न करने का उल्लेख करता है लेकिन जो कानून बनाये गए वो संविधान की मंशा के विपरीत है और वास्तविकता में निर्यात संबंधी रिफण्ड समय सीमा के अन्दर नहीं दिए जा रहे हैA वापसी योग्य धनराशि का प्रवाह 4 से 6 महीने रुक जाता है और वापसी में व्यय भी लगता है, यह निर्यातक पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और हमारा निर्यात भी घट रहा है।

प्रेस-वार्ता में उपस्थित गणमान्य : श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.), श्री नरेन्द्र शर्मा, चेयरमैन, ट्रेड कमेटी, एम.सी.यू.पी, श्री ए.के.सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी एवं मर्चेंट्स चैम्बर के सदस्यगण श्री वी.के. लाहोटी, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश